

(1)

21

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुभाग-2)  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या: 4255/प्र0अ0/सिंवि/कार्मिक-2/ई-6/संघ

दिनांक 8 जून 2018

विषय: स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (योंत्रिक) के किये गये स्थानान्तरण के संबंध में।

समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

सूचनीय है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत सत्र-2018 में इस कार्यालय के विभिन्न कार्यालय ज्ञापों द्वारा अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/योंत्रिक) के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय द्वारा अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/योंत्रिक) के निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के कम में किसी भी अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/योंत्रिक) को उनके गृह तहसील में पदाधारित न किया जाय।

*Mony*  
(मणि चन्द्र माण्डेय)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

8/5/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुभाग-2)  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(2)

संख्या—4186

/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक ८ जून 2018

—कार्यालय—ज्ञाप:-

स्थानान्तरण अधिनियम—2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर संहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (योग्यिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम—५ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ—६ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
01	संजीव कुमार	पिथौरागढ़	16.2.80	लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़	नलकूप खण्ड, टनकपुर (चम्पावत क्षेत्र)

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम—2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुम्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपरोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवितरण पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—2003 (समय—समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०शर्मा  
मुख्य अभियन्ता (योग्यिक)

4186

/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य अभियन्ता (योग्यिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- संबंधित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- संबंधित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन द्वन्द्र पाण्डे)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कर्ते प्रमुख अभियन्ता

८/४/१८

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुसार-2)  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 4187 / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०,

-कार्यालय-ज्ञाप:-

दिनांक ८ जून 2018

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (योग्त्रिक) को उनके नाम के समुख कालम-५ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-६ में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री महेश चन्द्र	मेरठ	12.7.63	स्थापना खण्ड, रुड़की	लघु डाल खण्ड, पिथौरागढ़	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा- 7 (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत विना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवितात पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का निवेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निवेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क००३०  
मुख्य अभियन्ता (योग्त्रिक)

4187  
संख्या— / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य अभियन्ता (योग्त्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- संबंधित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- संबंधित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन चन्द्र पाण्ड्य)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृत्य प्रमुख अभियन्ता

OK/10

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुभाग-2)  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(4)

संख्या—4188 / प्रो०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०।

—कार्यालय—ज्ञाप:-

दिनांक ५ जून 2018

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम-५ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थान-६ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
०१	श्री अनुज ठान	सहारनपुर	९.५.७६	सिंचाई कार्यशाला रुड़की	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-७ (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

- १ स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- २ स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा घेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपर्योग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
- ४ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ५ स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ६ यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण शोकने के लिए अपने माता-पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- ७ यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ललवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ८ जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनियोगित किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील ) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०००८  
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या—4188 / प्रो०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:-

- १ मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २ संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- ३ संबंधित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- ४ संबंधित कोषाधिकारी।
- ५ वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(महेश चन्द्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कोटे प्रमुख अभियन्ता

४१८८

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुसार—2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

4189

संख्या—48 / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक—२ / ई—६ / स्था०,

—कार्यालय—ज्ञाप—

स्थानान्तरण अधिनियम—२०१७ के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के समुख कालम—५ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ—६ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है—

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री आनिल कुमार यादव	हरिद्वार	14.11.78	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम—२०१७ की धारा—७ (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम—२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानी के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें—

- १ स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत यिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये यिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- २ स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- ४ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ५ स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ६ यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगी।
- ७ यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध” उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—२००३ (समय समय पर यासंसोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ८ जो कोई इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील ) नियमावली—२००३ (समय—समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०००८०८०  
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या—48 / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक—२ / तिथिनाम्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है—

- १ मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २ संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- ३ संबंधित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- ४ संबंधित कोषाधिकारी।
- ५ वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(गोहन चन्द्र पाण्डेय)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक—२)  
को प्रमुख अभियन्ता  
01/01/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुमान-2)  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(6)

संख्या 4190 / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

दिनांक ४ जून 2018

कार्यालय-झाप:-

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के में निहित प्राविधिकानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के समुख कालम-5 में अकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-6 में अकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	अनुल हरि अग्रवाल	हरिद्वार	4.7.73	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7 (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनियम-2017 कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- स्थानान्तरित कार्मिक को प्रदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत विना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किसी उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क००शमा०  
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या- 4190 / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।-

- मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- संविधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- संविधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- संविधित कोषधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन चन्द्र प्राणेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कर्ते प्रमुख अभियन्ता

१६/६/१८